खाद्य एवं मांस प्रसंस्करण इकाइयों तथा असेम्ब्ली लाइनों वाले कार्यस्थलों के लिए कोविड-19 (COVID-19)
प्रचालन मार्गदर्शन
4 जून, 2020 को अद्यतित

1. उद्देश्य

यह मार्गदर्शन दस्तावेज़ खाद्य एवं मांस प्रसंस्करण इकाइयों और विनिर्माण इकाइयों (सामूहिक रूप से, “इकाइयां”) के कर्मियों का संरक्षण करने एवं कोविड-19 (COVID-19) का संचार घटाने के लिए उक्त इकाइयों हेतु प्राचल (पैरामीटर) प्रदान करता है।[1]

2. पृष्ठभूमि

कोविड-19 (COVID-19) एक श्वसन रोग है जो व्यक्ति-से-व्यक्ति-तक फैल सकता है। यह विषाणु यानि वायरस किसी व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के पास खांसने, छींकने, या बोलने से निकली श्वसन बूंदों द्वारा संचारित होता है। कोविड-19 (COVID-19) ग्रस्त व्यक्ति के 6 फ़ीट के दायरे में मौजूद व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। जिस व्यक्ति में कोविड-19 (COVID-19) के लक्षण नहीं हैं वह भी इसे संचारित कर सकता है। नियोक्ता, जिनमें विनिर्माण एवं खाद्य तथा मांस प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं, अपने कर्मियों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल एवं स्वस्थ कार्य परिवेश बनाए रखने के लिए, और इस उद्देश्य से, अपने कर्मियों के संरक्षण के आवश्यक उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व

जन स्वास्थ्य विभाग अधिनियम (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट), 20 ILCS 2305/2, और इलिनॉय संचारी रोग नियंत्रण संहिता (इलिनॉय कंट्रोल ऑफ़
कम्युनिकेबल डिसीज़ेज कोड), 77 इलि. प्रशा. संहिता (Code) 690, के अनुसरण में, इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, IDPH) और प्रमाणित स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के पास संक्रामक रोगों के प्रकोपों, जिनमें कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी शामिल है, की जांच एवं उनका नियंत्रण करने का प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है।

- रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों (सेंटर्स फ़ॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC) ने संचार का जोख़िम घटाने के लिए नियोक्ताओं हेतु सामान्य मार्गदर्शन, और मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण कर्मियों तथा नियोक्ताओं के लिए मार्गदर्शन जारी किए हैं।

---

[1] इस मार्गदर्शन दस्तावेज़ के प्रयोजनों से, “कर्मी” शब्द में न केवल इकाई के कर्मचारियों को, बल्कि इलिनॉय दिवसीय एवं अस्थायी श्रम सेवाएं अधिनियम (इलिनॉय डे एंड टेम्परेरी लेबर सर्विसेज़ एक्ट), 820 ILCS 175/5 द्वारा यथा परिभाषित उन अस्थायी कर्मियों को भी शामिल माना जाना चाहिए जिन्हें उस इकाई में नियुक्त किया गया है।
.

- IDPH और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में विशिष्ट सुझाव प्रदान कर सकते हैं कि कर्मियों को कोविड-19 (COVID-19) होने का जोख़िम कैसे घटाया जाए, जिसमें इकाई की स्थिति की समीक्षा के लिए टेलीकॉन्फ़्रेंस आयोजित करना और जोख़िम घटाव के सुझाव प्रदान करना शामिल है।
- IDPH और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, आवश्यक होने पर, कर्मियों के लिए कोविड-19 (COVID-19) परीक्षण की सुलभता से संबंधित मुद्दों पर व्यवसायों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- IDPH और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 (COVID-19) पर इकाई की प्रतिक्रिया में सुधार की आवश्यकता वाले किन्हीं भी क्षेत्रों की पहचान के लिए ऑनसाइट दौरे कर सकते हैं।
- स्थानीय स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 पॉज़िटिव कर्मियों का साक्षात्कार करने और उस कर्मी के निकट संपर्कों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी हैं और इस उद्देश्य से वे कार्यस्थल के अंदर निकट संपर्कों की पहचान के लिए नियोक्ता से सहायता ले सकते हैं।
- इलिनॉय संचारी रोग नियंत्रण संहिता (इलिनॉय कंट्रोल ऑफ़ कम्युनिकेबल डिसीज़ कोड), 77 इलि. प्रशा. संहिता 690 के अनुसार, इकाइयों के लिए IDPH और अपने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को उत्तर देना एवं उनके साथ सहयोग करना आवश्यक है। इसमें आकलन के लिए इकाई के दौरों को अनुमति देना और निम्नलिखित आदि जानकारी के अनुरोधों के उत्तर देना शामिल है:
    - कर्मियों हेतु जोख़िम घटाने के लिए नियोक्ता की वर्तमान कार्यप्रथाएं;
    - कर्मियों की एक संपूर्ण सूची;
    - ऐसे कर्मियों की एक संपूर्ण सूची जो अस्वस्थ होने के कारण अवकाश पर हैं, और यह सूची दिनांक के अनुसार विभाजित हो; और
    - इकाई द्वारा पहचाने गए किसी भी कर्मी-संबंधी कोविड-19 (COVID-19) के मामले, जिसमें कोविड-19 (COVID-19) के कारण मृत्यु शामिल है, की स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे के अंदर सूचना।

4. इकाई की कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण नियंत्रण योजना

इकाइयों को प्रचालन की निरंतरता कायम रखते हुए कर्मियों और संयंत्र में आने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के संरक्षण की आवश्यक रणनीतियों पर ध्यान देने के लिए तत्काल एक संक्रमण नियंत्रण योजना विकसित एवं लागू करनी चाहिए। कोई भी मामला घटित हो उससे पहले ही पहले से अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए इकाइयों को 'कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी के दौरान प्रसंस्करण इकाइयों के लिए संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण आकलन साधन' (प्रदर्श A के रूप में संलग्न) और 'प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कोविड-19 (COVID-19) स्वास्थ्य व सुरक्षा जांचसूची' (प्रदर्श B के रूप में संलग्न) के उपयोग पर विचार करना चाहिए। इकाई चाहे तो उपयुक्त योजना विकसित करने के लिए किसी परामर्शदाता को नियुक्त करने पर विचार कर सकती है। संक्रमण नियंत्रण योजना में निम्नलिखित विषय होने चाहिए।

A. कर्मियों की स्क्रीनिंग (आरंभिक जांच)

इकाइयों को सभी कर्मियों की स्क्रीनिंग (आरंभिक जांच) इस प्रकार करनी चाहिए:

- कर्मियों की स्क्रीनिंग और निगरानी करें, इसमें बुख़ार की जांच और लक्षणों की जांच शामिल हैं।
    - पाली (शिफ़्ट) से पहले और बाद में निगरानी करें।
    - केवल बुख़ार की जांच पर निर्भर न रहें। इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के पुष्ट मामलों की एक बड़ी संख्या में बुख़ार सूचित नहीं हुआ है।
    - कर्मियों से लक्षणों के बारे में पूछें, पर केवल कर्मियों द्वारा स्वयं दी जाने वाली सूचना पर निर्भर न रहें। कोविड-19 (COVID-19) के लक्षणों में अग्रलिखित शामिल हो सकते हैं: बुख़ार (100.4° या अधिक), खांसी, सांस लेने में नई कठिनाई, गले में ख़राश/दुखन, स्वाद या गंध की नई हानि।
    - कर्मियों से पूछें कि क्या उनके किसी परिजन में कोविड-19 (COVID-19) परीक्षण पॉज़िटिव आया है या अन्यथा वे कोविड-19 (COVID-19) के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं।
- इकाइयों को कर्मियों से IDPH का अनुशंसित स्व-निगरानी साधन पूरा करने को कहना चाहिए।
- इकाइयों को सामाजिक दूरी एवं उचित स्वच्छता बनाए रखने वाले ढंग से लक्षणों की स्क्रीनिंग करने के लिए बाहर एक स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए।
- इकाइयों को ऐसे किसी भी कर्मी जिसमें इस समय कोविड-19 (COVID-19) का कोई भी लक्षण दिख रहा हो, को कार्यस्थल में प्रवेश करने की अनुमति केवल तब देनी चाहिए जब उक्त कर्मी घर पर 10 दिनों के लिए स्वयं-पृथकवास (सेल्फ़-आइसोलेशन) में रह चुका हो और फिर और 3 दिनों तक उसे बुख़ार न आया हो और वह स्वस्थ भी महसूस कर रहा हो।
- इकाइयों को कर्मियों को याद दिलाना चाहिए कि यदि वे किसी पाली (शिफ़्ट) के दौरान अस्वस्थ हो जाएं तो उन्हें तत्काल अपने सुपरवाइज़र को सूचना देनी है।

स्क्रीनर्स (जांचकर्ताओं) को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) पहनने चाहिए। स्क्रीनर (जांचकर्ता) और स्क्रीन किए जा रहे (जांचे जा रहे) कर्मी के बीच कम-से-कम 6 फ़ीट की दूरी होनी चाहिए। यदि स्क्रीनर (जांचकर्ता) के लिए कर्मी के 6 फ़ीट के दायरे के अंदर आना आवश्यक हो, तो स्क्रीनर को दस्ताने, गाउन, फ़ेस शील्ड, और फ़ेस मास्क पहनने चाहिए। इकाइयों को स्क्रीनर्स (जांचकर्ताओं) को संक्रमित होने से बचाने के प्रोटोकॉल्स सुनिश्चित करने चाहिए। हम किसी व्यावसायिक स्वास्थ्य समूह से परामर्श को प्रोत्साहित करते हैं।

B. मामलों की पहचान और संपर्कों का पता लगाना

जैसे ही किसी कर्मी में कोविड-19 (COVID-19) होने की पुष्टि हो, इकाई को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

- कर्मी के वर्कस्टेशन और औज़ारों को अच्छी तरह साफ और विसंक्रमित करना चाहिए।
- कर्मी को घर पर 10 दिनों के लिए, और फिर 3 और दिनों तक बुख़ार मुक्त और स्वस्थ महसूस करते हुए पृथकवास में रहना चाहिए और तब तक इकाई को कर्मी को काम पर लौटने की स्वीकृति के लिए किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का नोट नहीं मांगना चाहिए।
- इकाई और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को कार्यस्थल के अंदर संपर्कों का पता लगाने के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

हालांकि CDC मार्गदर्शन यह प्रावधान करता है कि अति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी कार्यों में लगे कर्मियों को कोविड-19 (COVID-19) से संभावित संपर्क के बाद कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते उनमें लक्षण न दिखाई दें, उनका परीक्षण परिणाम पॉज़िटिव न आए, और अतिरिक्त सावधानियां लागू की जाएं; इकाइयों को निम्नलिखित अवश्य समझ लेना चाहिए:

- संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में मौजूद कर्मी लक्षण विकसित होने से 48 घंटे पहले तक से अन्य व्यक्तियों तक वायरस फैला सकता है। ऐसा व्यक्ति भी वायरस फैला सकता है जिसमें लक्षण कभी दिखें ही नहीं।
- कोविड-19 (COVID-19) के परीक्षण में पॉज़िटिव आने वाले सहकर्मियों के निकट संपर्क में मौजूद कर्मियों की लक्षणों के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए और यदि कार्यस्थल पर होने के दौरान लक्षण आरंभ हों तो उन्हें तत्काल घर भेज देना चाहिए।
- इकाई को संचार का जोख़िम घटाने के लिए इस मार्गदर्शन में दिए गए स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी उपायों का पालन करना चाहिए।

- इकाई यह निर्णय ले सकती है कि कोविड-19 (COVID-19) के परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए सहकर्मियों के निकट संपर्क वाले कर्मियों का 14 दिनों तक स्वयं-संगरोध (सेल्फ़-क्वॉरन्टीन) के लिए घर पर रहना ही सर्वश्रेष्ठ है।

C. कोविड-19 (COVID-19) के लिए परीक्षण

कोविड-19 (COVID-19) के लिए परीक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की एक आवश्यक रणनीति है। परीक्षण से:

- कर्मियों में कोविड-19 (COVID-19) के होने से संबंधित डेटा मिलेगा; और
- इकाई के प्रबंधक यह पहचान कर पाएंगे कि कौनसे कर्मी परीक्षण में पॉज़िटिव आए हैं।

IDPH और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग परीक्षण क्षमता बढ़ाने और सलक्षण कर्मियों का परीक्षण करने की विधियों की पहचान करने में सहायता दे सकते हैं; इन विधियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: इकाई के बाहर टेंट व्यवस्थित करना, और स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ कार्य करना या इकाई के लिए परीक्षण कर सकने वाली कंपनियों से इकाइयों को जोड़ने के लिए IDPH से सहायता का अनुरोध करना। यदि कर्मी उपयुक्त मोचन प्रपत्र (रिलीज़ फ़ॉर्म्स) पर हस्ताक्षर करते हैं, तो प्रयोगशाला परिणाम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और नियोक्ता, दोनों को प्रदान किए जा सकते हैं।

इस समय, CDC और IDPH कोविड-19 (COVID-19) के लिए एक आण्विक प्रकार का परीक्षण (या पॉलिमरेज़ चेन रिएक्शन अथवा “PCR” परीक्षण) की अनुशंसा कर रहा है जिसमें नाक और गले में फ़ाहा फिराकर कोविड-19 (COVID-19) के लिए उसका परीक्षण किया जाता है।

- परीक्षण पॉज़िटिव आने का यह अर्थ है कि व्यक्ति अब एक पुष्ट मामला है और उसे स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार पृथकवास में रहना चाहिए।
- परीक्षण निगेटिव आने का यह अर्थ है कि नमूना लिए जाने के समय कर्मी संक्रमित नहीं था। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह व्यक्ति रोगी नहीं होगा। परीक्षण परिणाम का बस यह अर्थ है कि परीक्षण के समय व्यक्ति को कोविड-19 (COVID-19) नहीं था।

भविष्य में सेरोलॉजिक परीक्षण—जिसमें कोविड-19 (COVID-19) एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण किया जाता है—से यह सिद्ध करने में सहायता मिल सकती है कि संक्रमित हो चुके व्यक्ति में वायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है या नहीं।

D. स्वास्थ्य व सुरक्षा समिति

इकाइयों को अनुशंसाओं, कार्यस्थलीय संरक्षणों और अधिकारों, तथा संक्रमण नियंत्रण कार्यविधियों का सहयोग करने हेतु लागू किए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए एक स्वास्थ्य व सुरक्षा समिति आयोजित करनी चाहिए जिसका गठन श्रम-प्रबंधन प्रतिनिधियों को मिलाकर होना चाहिए। इकाइयों को उनकी कोविड-19 (COVID-19) रोकथाम प्रतिक्रिया के नेतृत्व के लिए किसी योग्य कार्यस्थलीय संयोजक को नियुक्त करना चाहिए। उक्त समिति को इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

- अस्वस्थ कर्मियों को प्रतिशोध के भय के बिना घर पर ही रहने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां विकसित करें और कर्मियों को उक्त नीतियों के बारे में सूचित करें।
- अस्वस्थ कर्मियों की सुविधा के लिए अनंतिम अवकाश नीतियां लागू करें।
- परीक्षण में पॉज़िटिव आने वाले सलक्षण कर्मियों के लिए घर पर 10 दिन और उसके बाद 3 दिन तक बुख़ार मुक्त और स्वस्थ महसूस करते हुए रहना आवश्यक करने वाली नीति अपनाएं। यदि कोई कर्मी परीक्षण में पॉज़िटिव आता है पर वह अलक्षण है, तो उसे नमूने का परीक्षण परिणाम पॉज़िटिव आने के बाद 10 दिनों तक घर पर रहना चाहिए। संदिग्ध या पुष्ट कोविड-19 (COVID-19) संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में संभवतः आ चुके अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कर्मियों हेतु सुरक्षा कार्यप्रथाएं लागू करने के लिए अनंतिम मार्गदर्शन का संदर्भ लें।
- कार्यस्थल पर उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन प्रदान न करें अथवा कोविड-19 (COVID-19) का परीक्षण करवाने के लिए या कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित रुग्णता के कारण लिए गए अवकाश के लिए कर्मियों को दंडित न करें।
- निर्धारित टीम नेतृत्वकर्ताओं के साथ एक सुरक्षा टीम निर्धारित करें, जो संबंधित जानकारी कर्मियों से साझा कर सकती हो और कर्मियों की चिंताएं वापस प्रबंधन तक पहुंचा सकती हो। कर्मियों को इस संबंध में निर्देश दें कि लक्षणों की सूचना कैसे देनी है। उपयुक्त सामाजिक दूरी के साथ, यह टीम प्रतिदिन अपने निर्धारित कर्मियों से मुलाकात कर सकती है। इकाइयों को कोविड-19 (COVID-19) कार्यविधियों के किन्हीं भी अनुपालन संबंधी मुद्दों के दैनिक आकलन के लिए संपरीक्षकों (ऑडिटर्स) का उपयोग करना चाहिए।
- समिति को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि बुजुर्ग कर्मी और दीर्घस्थायी चिकित्सीय स्थितियों से ग्रस्त किसी भी आयु के कर्मी, गंभीर रुग्णता के अधिक जोख़िम में हैं। अधिक जोख़िम वाले कर्मियों को संबोधित करने वाली नीतियां और कार्यविधियां व्यवसायजनित-रोग चिकित्सा एवं मानव संसाधन पेशेवरों के साथ परामर्श से बनाई जानी चाहिए।

E. सामाजिक दूरी एवं अन्य प्रशासनिक नियंत्रण

कार्यकारी आदेश 2020-38, अनुभाग 5 के अनुसरण में, इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मी सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हों, जिसमें व्यवहार्यता की अधिकतम संभव सीमा के अंदर सारे समय व्यक्तियों के बीच कम-से-कम छः फ़ीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, अधिकतम संभव बार हाथों को साबुन व पानी से कम-से-कम बीस सेकंड तक धोना या हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसी या छींक को ढकना (आस्तीन या कुहनी में खांसना या छींकना, न कि हथेलियों में), बारंबार छुई जाने वाली सतहों की नियमित सफाई, और हाथ नहीं मिलाना शामिल हैं। कर्मियों के बीच छः फ़ीट की दूरी बनाए रखना कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार का जोख़िम घटाने का एक अति महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि लक्षण आरंभ होने से पहले के 48 घंटों में भी व्यक्ति वायरस फैला सकता है।

इकाइयों को सामाजिक दूरी के लिए सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित आदि क्षेत्रों में विभाजित प्रवेश शामिल है:

- अवकाश (ब्रेक) कक्ष, भोजन कक्ष एवं इसी प्रकार के अन्य साझा स्थान
    - एक बार में अवकाश (ब्रेक) ले रहे लोगों की संख्या घटाने के लिए भोजन एवं अवकाशों (ब्रेक) को विभाजित करने पर विचार करें।
    - सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कैफ़ेटेरिया में टेप के उपयोग से उन स्थानों को चिह्नित करने पर विचार करें जहां लोग बैठ या खड़े हो सकते हैं।
    - कर्मी एक-दूसरे के छः फ़ीट के दायरे में न बैठें यह सुनिश्चित करने के लिए भोजन एवं अवकाश (ब्रेक) कक्षों से कुछ सीटें हटाने पर विचार करें।
    - यदि मौसम को देखते हुए संभव हो तो, अवकाश (ब्रेक) और भोजनों के दौरान सामाजिक दूरी के लिए बाहर पिकनिक टेबल या टेंट लगाने पर विचार करें।
    - कर्मी खाते समय अपने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किस प्रकार सुरक्षित ढंग से भंडारित कर सकते हैं यह बताने वाला एक प्रोटोकॉल विकसित करें।
- स्नानघर/शौचालय
    - पोर्टेबल शौचालय उपलब्ध कराने पर विचार करें।
- प्रसंस्करण लाइनें
    - लोग एकत्र न होने पाएं इसके लिए पालियों (शिफ़्ट), आरंभ समय, और अवकाश (ब्रेक) समय को व्यवहार्यता के अनुसार विभाजित करें।
    - कर्मियों के निकट संपर्क को न्यूनतम करने के लिए उत्पादन लाइन की स्टाफ़ संख्या व्यवहार्यता के अनुसार घटाएं। लाइन की गति इतनी कर दें जिससे कर्मी दूरी बनाए रख पाएं। जहां कहीं उत्पादन लाइन में कर्मियों के बीच छः फ़ीट की दूरी बनाए रखना संभव न हो, कर्मियों को बाधाओं द्वारा अलग किया जाना चाहिए और उन्हें PPE देने चाहिए, जिनमें, न्यूनतम तौर पर, फ़ेस मास्क शामिल हैं।
    - कर्मियों को समूहों में बांटें और समूहों को पालियों (शिफ़्ट) में इस प्रकार विभाजित करें कि हर पाली में हर बार वे ही समूह कार्य करें जिन्होंने उसी पाली में पहले कार्य किया था। इससे कार्यस्थल पर निकट संपर्कों का पता लगाना सरल हो जाएगा।
    - केवल आवश्यक लाइनों का प्रचालन करें और अनावश्यक लाइनें बंद कर दें।
- लॉकर कक्ष
    - प्रत्येक पाली (शिफ़्ट) में कर्मियों को लॉकर निर्धारित करने पर विचार करें और यह सुनिश्चित करने पर विचार करें कि निर्धारित किए गए लॉकर एक-दूसरे से छः फ़ीट दूर हों। वैकल्पिक रूप से, लॉकर कक्ष का उपयोग विभाजित करने पर विचार करें ताकि सुनिश्चित हो कि कर्मी एक-दूसरे से छः फ़ीट दूर रहें।
    - इकाइयों को साफ़-सफाई के सामान प्रदान करने चाहिए और कर्मियों को हर पाली (शिफ़्ट) में उनके निर्धारित लॉकरों को साफ करने का समय देना चाहिए।
- प्रवेश और निकास
    - इकाई में आने और निकलने के लिए एक-तरफ़ा प्रवेश और निकास द्वार निर्धारित करें।

- छः फ़ीट की दूरी पर निशान बनाएं जहां कर्मी कार्य आरंभ के लिए प्रवेश या समापन पश्चात निकास करने अथवा स्वास्थ्य आकलन करवाने के लिए प्रतीक्षा करते समय, परिवहन हेतु प्रतीक्षा करते समय, और जहां कर्मी सामान्यतः एकत्र होते हैं ऐसे अन्य क्षेत्रों में, कतार बनाकर खड़े रह सकते हों।
- सुनिश्चित करें कि जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस या अन्य टाइमकीपिंग सिस्टम कर्मियों के लिए एक ही सतह, जैसे स्क्रीन या कीपैड, को छूना आवश्यक करता हो, उसे नियमित रूप से साफ किया जाए। स्पर्शहीन प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त, कार्य आरंभ के लिए प्रवेश या समापन पश्चात निकास करते समय कर्मियों के उपयोग के लिए टाइमकीपिंग सिस्टम की बगल में हैंड सैनिटाइज़र या विसंक्रामक (डिसइन्फ़ेक्टिंग) वाइप्स रखे जाने चाहिए।
- कर्मियों को कार्य आरंभ के लिए प्रवेश या समापन पश्चात निकास के समय इतना समय प्रदान करें ताकि सुनिश्चित हो सके कि PPE उपयुक्त ढंग से पहने व उतारे जाएं, लॉकर और उपकरण अच्छी तरह साफ कर दिए जाएं, और कतारें न लगने पाएं।

- औज़ार कक्ष
  - यदि औज़ारों का उपयोग एक से अधिक कर्मियों द्वारा होता हो तो उपयोग के बीच उन्हें विसंक्रमित करें।

इसके अतिरिक्त, इकाइयों को:

- इकाई के सभी क्षेत्रों में कर्मियों को एक-दूसरे से भौतिक रूप से अलग करने के तरीकों की पहचान करनी चाहिए, जैसे पर्दा पट्टियों (स्ट्रिप करटेन) या प्लेक्सिग्लास बाधाओं का उपयोग।
- कर्मियों का निकट संपर्क न्यूनतम करने के लिए वर्कस्टेशनों में आवश्यक बदलाव करें।
- यदि कर्मियों को कार्य साइट पर लाने के लिए शटल बसों का उपयोग होता हो, तो सुनिश्चित करें कि बसों में कर्मी उपयुक्त सामाजिक दूरी का पालन करें एवं फ़ेस मास्क पहनें, और यह कि शटल बसों को, विशेष रूप से दरवाज़ों के हैंडलों, हैंडरेल, और सीटबेल्टों को, नियमित रूप से साफ और विसंक्रमित किया जाए। प्रत्येक वाहन में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। व्यक्तियों को वाहन में प्रवेश से पहले और वाहन से निकलने के तुरंत बाद हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए।
- 6 फ़ीट की दूरी दिखाने के लिए आसानी से दिखने वाले चिह्नों (जैसे फ़र्श पर निशानों या संकेतों) का उपयोग करें।
- कर्मी क्षेत्रों में हवा की उचित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किसी यांत्रिक इंजीनियर से परामर्श करें। हवा को एक कर्मी से दूसरे कर्मी तक ले जाने वाले पंखों के उपयोग से बचें। यदि इकाई में पंखों का उपयोग होता है तो सुनिश्चित करें कि पंखे ताज़ा हवा फेंकते हों। कोविड-19 (COVID-19) के संचार की रोकथाम के लिए व्यक्तिगत कूलिंग फ़ैन हटा दें, पर साथ-ही-साथ गर्मी संबंधी ख़तरे घटाने के कदम भी उठाएं।
- यदि कर्मी नियोक्ता द्वारा दिए गए आवास में रहते हों, तो कोविड-19 (COVID-19) पॉज़िटिव कर्मियों को अलक्षण कर्मियों से अलग कर दें।
- केवल उन आगंतुकों को आने की अनुमति दें जो व्यापार प्रचालन के लिए आवश्यक हों, और इकाई में आगंतुक कहां-कहां जा सकते हैं इस पर प्रतिबंध/सीमाएं लागू करें।

F. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE)

इकाइयों को:

- कर्मियों को आवश्यक PPE देने चाहिए और जब आवश्यक हो तब उन्हें बदल देना चाहिए।
- यह आवश्यक करना चाहिए कि कर्मी मास्क पहनें।
    - मास्क को नाक व मुंह पर चुस्त होना चाहिए।
    - मास्क को कसने की पट्टियों या इयर लूप से कसा जाना चाहिए और उनमें फ़ैब्रिक की कई पर्तें होनी चाहिए।
    - कर्मियों को मास्क के आगे वाले भाग को छूने से बचना चाहिए और उसे गर्दन के इर्द-गिर्द झूलने नहीं देना चाहिए।
    - मास्क से सांस लेने में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।
    - मास्क गीला या संदूषित हो जाने पर बदल देना चाहिए।
    - जब भोजन के लिए मास्क हटाए जाएं, तो उन्हें उनकी बाहर वाली साइड नीचे की ओर रखते हुए किसी पेपर टॉवेल पर तब तक रखना चाहिए जब तक उन्हें वापस पहन न लिया जाए।
- कर्मियों को संदूषण की या संक्रमित सामग्री के स्थानांतरण की रोकथाम करने के लिए PPE को उचित ढंग से पहनने व उतारने के तरीके का प्रशिक्षण दें।
- दस्ताने या फ़ेस कवर हटाए जाने के बाद हाथों की उत्तम स्वच्छता पर बल दें।
- कर्मियों को प्रशिक्षित करें कि वे अपना चेहरा, जिसमें आंखें, नामक और मुंह शामिल है, तब तक न छुएं जब तक वे अपने हाथ धो न चुके हों।
- मास्क के साथ-साथ फ़ेस शील्ड का उपयोग करने पर भी विचार करें। फ़ेस शील्ड को PPE और स्रोत नियंत्रण माना जाता है। फ़ेस शील्ड को हेल्मेट से जोड़ा जा सकता है पर उसे आंखों की सुरक्षा का विकल्प नहीं माना जा सकता है। फ़ेस शील्ड मास्क के संदूषण को न्यूनतम कर सकती है। फ़ेस शील्ड को हर पाली (शिफ़्ट) के बाद साफ और विसंक्रमित करने की और किसी स्वच्छ स्थान में रखने की आवश्यकता होती है। फ़ेस शील्ड पहनने वाले के चेहरे की एक साइड से दूसरी साइड तक जानी चाहिए और ठुड्डी के नीचे तक फैली होनी चाहिए।

G. सफाई, विसंक्रमण, और सैनिटाइज़ करना

इकाइयों को:

- उत्पादन क्षेत्रों में "अधिक छुई जाने वाली सतहों" को, कोविड-19 (COVID-19) के विरुद्ध उपयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण अभिकरण (एन्वायरन्मेन्टल प्रोटेक्शन एजेंसी) के मानदंडों को संतुष्ट करने वाले और इकाई की सैनिटेशन की मानक प्रचालन कार्यविधियों के अंतर्गत स्वीकृत उत्पादों से विसंक्रमित करें। अधिक छुई जाने वाली सतहों में दरवाज़ों की घुंडियां, लाइट स्विच, साझा उपकरण, शौचालय के हैंडल, सिंक की टोंटियां/नलके, कार्य आरंभ हेतु प्रवेश/समापन पश्चात निकास के क्षेत्र, वेंडिंग मशीनें, और औज़ार शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- सुनिश्चित करें कि हैंडवॉशिंग स्टेशन सरलता से उपलब्ध हों और वहां हाथ धोने के लिए साबुन, साफ पानी, और एक बार उपयोग होने वाली पेपर टॉवेल उपलब्ध हों। जब भी संभव हो, शून्य-स्पर्श पात्र प्रदान करें।
- यदि हैंडवॉशिंग स्टेशन उपलब्ध न हों, तो एल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र प्रदान करें जिनमें कम-से-कम 60% एथेनॉल या 70% आइसोप्रोपेनॉल हो।
- यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करें कि सफाई और विसंक्रमण नियमित रूप से किया जा रहा हो और यह कि हाथ धोने की उचित कार्यप्रथाओं का पालन हो रहा हो।

- संदिग्ध या पुष्ट कोविड-19 (COVID-19) वाले व्यक्तियों के इकाई में हो/रह चुकने के बाद नियमित से अधिक सफाई एवं विसंक्रमण करें।
- पाली (शिफ़्ट) के अंत में कठोर टोपियों, फ़ेस शील्ड, और अन्य PPE को सैनिटाइज़ करने की प्रोटोकॉल विकसित करें।

H. शिक्षा

इकाइयों को अपने कर्मियों को कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी के बारे में लगातार प्रशिक्षण एवं शिक्षण प्रदान करने चाहिए, जिसमें संचार, लक्षण, परीक्षण के बारे में जानकारी, आवश्यक सुरक्षा सावधानियां, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार की गंभीरता घटाने के लिए इकाई द्वारा उठाए जा रहे कदम, और प्रतिशोध-रोधी कानून शामिल हैं।

- प्रशिक्षण को CDC और IDPH मार्गदर्शन के साथ संगत होना चाहिए और उसमें अस्वस्थ होने पर कर्मियों के घर पर ही रहने के महत्व पर बल दिया गया होना चाहिए।
- प्रशिक्षण से कर्मियों को, वे कहां परीक्षण करवा सकते हैं, यदि वे कोविड-19 (COVID-19) के परीक्षण में पॉज़िटिव आते हैं तो वे अपने नियोक्ता को किस प्रकार सूचित करें, 14-दिवसीय स्वयं-पृथकवास (सेल्फ़-आइसोलेशन) अवधि के बाद कार्य पर लौटने की कार्यविधियां, और परीक्षण करवाने वाले एवं संक्रमित पाए जाने पर घर पर ही रुकने वाले कर्मियों के लिए उपलब्ध लाभ समय के बारे में शिक्षा मिलनी चाहिए।
- कोविड-19 (COVID-19) मार्गदर्शन में हो रहे बदलावों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण लगातार प्रदान करते रहना चाहिए। उसे समझने में आसान होना चाहिए, उसमें सही और समयबद्ध जानकारी होनी चाहिए, और उसे कर्मियों द्वारा बोली या पढ़ी जाने वाली वरीय भाषा(ओं) के लिए उपयुक्त भाषाओं में उपलब्ध होना चाहिए। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध मार्गदर्शन सामग्री के लिए CDC की वेबसाइट की सहायता लें।
- नियोक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करते समय साक्षरता संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए।
- उक्त प्रशिक्षण विभिन्न विधियों से दिया जा सकता है, जैसे:
    - कार्यस्थल पर टेलीविज़न पर या पाठ्य संदेश के माध्यम से;
    - टीम नेतृत्वकर्ताओं की ओर से;
    - लक्षणों, ठीक से हाथ धोने, और रोग के संचार से संबंधित चित्रों से युक्त और समझने में आसान पोस्टरों पर;
    - PPE पहनने और उतारने के वीडियो।
- कर्मी ध्यान दें यह सुनिश्चित करने के लिए सामग्री में नवीनतम विषय-वस्तु होनी चाहिए।
- इकाइयों को प्रशिक्षण के प्रयोजनों से प्रयुक्त सभी सामग्रियों की प्रतियां इस मार्गदर्शन के प्रभावी रहने के दौरान बनाकर रखनी चाहिए।
- इकाइयों को आम क्षेत्रों में संकेत/संदेश चस्पा करके प्रशिक्षण और सर्वोत्तम कार्यप्रथाओं को सुदृढ़ करना चाहिए।

I. कर्मियों के अधिकार

1970 का व्यवसायगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम (ऑक्युपेशनल सेफ़्टी एंड हेल्थ एक्ट ऑफ़ 1970) नियोक्ताओं को सुरक्षा या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं व्यक्त करने वाले कर्मियों के विरुद्ध प्रतिशोधी कदम उठाने से निषिद्ध करता है। इलिनॉय में, कर्मी महान्यायवादी के कार्यस्थलीय अधिकार ब्यूरो (अटार्नी जनरल्स वर्कप्लेस राइट्स ब्यूरो) (844-740-5076 या workplacerights@atg.state.il.us) के समक्ष भी कार्यस्थलीय चिंताएं व्यक्त कर सकते हैं।

J. स्वैच्छिक बंदी

इनमें से किसी भी परिस्थिति के उपस्थित होने पर इकाइयों को अपने प्रचालन स्वेच्छा से बंद करने पर विचार करना चाहिए:

- इकाई के कर्मियों में कोविड-19 (COVID-19) की संक्रमण दर का बढ़ना;
- सुरक्षित ढंग से कार्य करने के लिए कर्मियों की पर्याप्त संख्या न होना;
- कर्मियों के बीच कम-से-कम छः फ़ीट की सामाजिक दूरी की आवश्यकता बनाए रखने में असमर्थता; या
- PPE की अपर्याप्त आपूर्ति।

K. अनैच्छिक बंदी

जन स्वास्थ्य विभाग अधिनियम (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट), 20 ILCS 2305, एवं लागू विनियमों का अनुपालन नहीं करने वाली इकाई सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोखिम बन सकती है जिसके कारण संचारी रोग नियंत्रण संहिता (कंट्रोल ऑफ़ कम्युनिकेबल डिसीज़ेज कोड) के अनुसरण में किसी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसे बंद किया जाना आवश्यक हो सकता है। 77 इलि. (Ill.) प्रशा. कोड 690.1330. यदि इकाई बंदी के आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो महान्यायवादी का कार्यालय (अटार्नी जनरल्स ऑफ़िस) या स्थानीय राज्य न्यायवादी (स्टेट्स अटॉर्नी) प्रवर्तन की कार्रवाई करने में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की सहायता कर सकते हैं। *देखें* 77 इलि. (Ill. प्रशा. कोड 690.1340.

L. संदर्भ एवं संसाधन

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सेंटर्स फ़ॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन), *मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण कर्मी एवं नियोक्ता*, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सेंटर्स फ़ॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन), *कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19 (COVID-19)) पर प्रतिक्रिया की योजना बनाने और प्रतिक्रिया करने के लिए व्यवसायों एवं नियोक्ताओं हेतु अनंतिम मार्गदर्शन (COVID-19)*, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सेंटर्स फ़ॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन), *यदि आप एक ऐसे आवश्यक, अति महत्वपूर्ण कर्मी हैं जो कोविड-19 (COVID-19) के संपर्क में आ चुका है*, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Essential-Critical-Workers_Dos-and-Donts.pdf

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सेंटर्स फ़ॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन), *संदिग्ध या पुष्ट कोविड-19 (COVID-19) संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में संभवतः आ चुके अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कर्मियों हेतु सुरक्षा कार्यप्रथाएं लागू करने के लिए अनंतिम मार्गदर्शन*, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html

IDPH का व्यवसाय एवं संगठन मार्गदर्शन, https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/business-guidance

कर्मचारी/आगंतुक/ग्राहक के कोविड-19
COVID-19) परीक्षण में पॉज़िटिव पाए जाने पर खाद्य उद्योग अनुशंसित प्रोटोकॉल्स, 1 अप्रैल, 2020, http://www.afdo.org/resources/Documents/COVID19/2020-04-01%20FBIA%20COVID19_Case%20Recommended%20Protocols%20V4.pdf

कोविड-19 (COVID-19) के संबंध में खाद्य विनिर्माण इकाइयों में शारीरिक (सामाजिक) दूरी हासिल करने के आपातकालीन रोकथाम उपाय, 31 मार्च, 2020, https://www.idfa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-31-Emergency-Preventions-Measures-for-Physical-Distancing-in-Food-Manufacturing-as-Related-to-COVID-19.pdf

इलिनॉय संचारी रोग नियंत्रण संहिता (इलिनॉय कंट्रोल ऑफ़ कम्युनिकेबल डिसीज़ेज कोड), 77 इलि. प्रशा. संहिता (Ill. Code) 690, http://ilga.gov/commission/jcar/admincode/077/07700690sections.html

U.S. श्रम विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ लेबर), व्यवसायगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन (ऑक्युपेशनल सेफ़्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन) कोविड-19 (COVID-19) वेबपेज,

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19